न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ जिला सीकर

बइजलास अशोक कुमार, आर.ए.एस

प्रकरण संख्या 31/2019/दावा

1. देवीसहाय पुत्र रामलाल जाति कुमावत निवासी पचार तहसील दांतारामगढ जिला सीकर।

—वादी

ब ना म

1. तहसीलदार, तहसील दांतारामगढ जिला सीकर।

—प्रतिवादी

दावा बाबत रिकॉर्ड दुरूस्ती अं.धारा 136 एल.आर.एक्ट

उपस्थिति—

1. श्री सुरेन्द्रपाल धायल, वकील वादी की ओर सें।

नि र्ण य

दिनांक — 08.08.2019

1. वाद के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार से है कि वादग्रस्त संपदा खसरा नम्बर 1065 रकबा 10.01 हैक्टर वाके ग्राम पचार पटवार हल्का पचार तहसील दांतारामगढ जिला सीकर में अवस्थित है जिसके गत खसरा नम्बर 113 रकबा 39 बीघा 11 बीस्वा है। उक्त भूमियों में सें वादी ने पूर्व खातेदार चुड़ावतीजी जोगे पुत्र गणपत सिंह जाति राजपूत निवासी पचार सें जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 02.03.1988 को उक्त विक्रय पत्र में प्रार्थी/वादी का नाम देवीसहाय पुत्र रामलाल दर्ज है जो सही है। उक्त विक्रय पत्र का नामांतरण भरा गया था जो देवीसहाय पुत्र रामलाल के नाम सें भरा गया था जो सही था उक्त नामांतरण का अमल दरामद भी उसी नाम सें हुआ था परन्तु राजस्व कर्मचारियों की गलती सें संवत् 2051 सें 56 में प्रार्थी/ वादी का नाम देवीसहाय के स्थान पर देवीप्रसाद पुत्र रामलाल दर्ज कर दिया जो गलत है। विवादित भूमियों में प्रार्थी के भाई भी खातेदार है जिनके पिता का नाम भी रामलाल ही दर्ज है जो सही है व प्रार्थी के सरकारी उक्त दस्तावेज राशनकार्ड, आधारकार्ड, मतदाता पहचान पत्र व बैंक की पासबुक में भी प्रार्थी का नाम देवीसहाय पुत्र रामलाल दर्ज है। अतः उक्त दस्तावेजों के आधार पर प्रार्थी का नाम देवीप्रसाद पुत्र रामलाल के स्थान पर देवीसहाय पुत्र रामलाल दर्ज किया जाना न्यायोचित है। उक्त राजस्वकर्मियों की गलती की जानकारी

उपखण्ड अधिकारी,दांतारामगढ

Scanned by CamScanner

दिनांक 08.03.2019 को हल्का पटवारी सें किसान कार्ड बनवाने हेतु नकल लेने पर हुई जिसके कारण वाद पेश करना लाजमी हुआ है। अतः वादपत्र पेश कर अंत में यह इस्तदुआ चाही गई कि विवादित भूमियों में वादी/प्रार्थी का नाम देवीप्रसाद पुत्र रामूराम के स्थान पर देवीसहाय पुत्र रामलाल किया जाना न्यायोचित है।

2. वादपत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीग को जरिये नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादी सं0 1 तहसीलदार दांतारामगढ सें तथ्यात्मक रिपोर्ट मंगवाई गई। वकील वादी की बहस एकपक्षीय सुनी गई। बहस के दौरान वादी के अधिवक्ता ने वादपत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया तथा निवेदन किया कि प्रार्थी का नाम राजस्व रिकॉर्ड में संहवन सें देवीसहाय के स्थान पर देवीप्रसाद दर्ज हुआ है जिसें संशोधन किया जावे तथा देवीप्रसाद के स्थान पर देवीसहाय दर्ज किया जावे।
3. बहस विद्वान अधिवक्ता वादी पर मनन किया तथा वादपत्र में वर्णित तथ्यों का अवलोकन किया। तहसीलदार दांतारामगढ की रिपोर्ट का अधोपांत अवलोकन किया गया । तहसीलदार रिपोर्ट के " नामांतरण सं0 1396 दिनांक 31.05. 1990 के अनुसार खसरा नम्बर 113 में देवीसहाय दर्ज है तथा पटवारी हल्का पचार की रिपोर्ट, राशनकार्ड, आधारकार्ड, वोटरकार्ड, पेनकार्ड आदि सभी के आधार पर ग्राम पचार के खसरा नम्बर 1065 रकबा 10.01 हैक्टर में देवीप्रपसाद पुत्र रामलाल के बजाय देवीसहाय पुत्र रामलाल की अभिशंषा की गई है।" प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया तथा पटवारी रिपोर्ट तथा तहसीलदार रिपोर्ट के आधार पर न्यायहित में प्रार्थी/वादी का आवेदन अंतर्गत धारा 136 एलआर एक्ट स्वीकार किया जाता है तथा ग्राम पचार पटवार हल्का पचार की भूमि खसरा नम्बर 1065 रकबा 10.01 हैक्टर में खातेदार देवीप्रसाद पुत्र रामलाल के स्थान पर देवीसहाय पुत्र रामलाल दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है शेष जमाबंदी बदस्तूर रहे। तदनुसार रिकॉर्ड में अमल दरामद हेतु तहसीलदार दांतारामगढ को तहरीर जारी हो।

निर्णय मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 08.08.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर से कम हो ।

(अशोक कुमार)
उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ

उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ

Scanned by CamScanner